लिंग असमानता के कारणों, स्वरूपों और चुनौतियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
(आगरा नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में)

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)
दयालबाग, आगरा

पीएच0डी0 (समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु

रूपरेखा

2016-2017

संकाय प्रमुख
प्रो0 स्वामी प्रकाश श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष
प्रो0 श्रीमती पूर्णिमा जैन

शोध निर्देशिका
प्रो0 बन्दना गौड़

शोधार्थिनी
सीमा सिंह
पीएच0डी (समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान संकाय
दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट
(डीम्ड विश्वविद्यालय)
दयालबाग, आगरा।

प्रस्तावनाः—

वर्तमान समय में लिंग असमानता जैसी समस्या किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आती हैं, बल्कि अब यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, क्योंकि विश्व का आकार छोटा होता जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एक कर दिया है। वर्तमान भारतीय समाज में लिंग असमानता की समस्या प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से है। पुरूष और स्त्री एक जैविक तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है, तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है, जिसे लिंग असमानता कहा जाता है। अंग्रेजी के शब्द (Sex) तथा (Gender) के लिये हिन्दी में लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसके अर्थ को भी समान मान लिया जाता है। वास्तव में Sex तथा Gender शब्द के अर्थ में बहुत अन्तर है। सेक्स शब्द से अभिप्राय स्त्रियों और पुरूषों के उन जैविक एवं भौतिक लक्षणों (जैसे क्रोमोसोम, हार्मोन, आन्तरिक एवं बाह्य यौनांग इत्यादि) से है। जिनका निर्धारण जन्म से होता है। लिंग के विपरीत जेण्डर एक सामाजिक—सांस्कृतिक तथ्य है, जिसे हम लिंग की सामाजिक रचना भी कह सकते है।यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया का निर्माण न होकर सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित प्रक्रियाओं की सामाजिक रचना होती है। सभी समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर होने के कारण जेण्डर के रूप में लिंग की यह सामाजिक संरचना भी भिन्न—भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसीलिये विभिन्न समाजों में भी अन्तर होने के कारण जेण्डर के रूप में लिंग की यह सामाजिक संरचना भी भिन्न—भिन्न प्रकार की हो सकती है, इसलिये विभिन्न समाजों में या एक ही समाज के विभिन्न युगों में जेण्डर से सम्बन्धित भूमिकाओं में भी अन्तर पाया जाता है। जेण्डर पर आधारित पहचान गतिशील होती है तथा इसे बनाए रखने में अनेक कारकों की निरन्तर अन्तक्रिया उत्तरदायी मानी जाती है। इन कारकों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, लैगिंक तथा ऐतिहासिक प्रमुख है।

जेण्डर पर आधारित वर्गीकरण का आधार लिंग पर आधारित श्रमाविभाजन है, जिसके आधार पर यह परिभाषित किया जाता है, कि स्त्रियों के लिए कौन सा श्रम वांछनीय है, तथा

पुरूषों के लिए कौन सा। लिंग की सामाजिक रचना होने के नाते जेण्डर से अभिप्राय, लिंग के अनुरूप किए जाने वाले व्यवहार, भूमिकाओं, प्रत्याशाओं तथा समाज में की जाने वाली क्रियाओं से है। अधिकांश समाजों में परम्परागत रूप से लिंग के आधार पर श्रमविभाजन पाया जाता था, जिसके अनुसार स्त्रियों की भूमिका घर की चारदीवारी के भीतर सीमित कर दी गई थी। पुरूष की भूमिका बाहर जाकर कार्य करने की रही। इसका प्रभाव वर्तमान समाजों पर भी देखने को मिलता है। समाजशास्त्रीय भाषा में जेण्डर से सम्बन्धित भूमिका से अभिप्राय विभिन्न संस्कृतियों में लिंग के अनुरूप किए जाने वाले व्यवहार प्रतिमानों से है। लिंग असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विशेषकर विकासशील देशों में, स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढिगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है। तथा उनको पुरूषों को समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।

पैपनेक के अनुसार–''लिंग (सामाजिक) स्त्री और पुरूष से सम्बन्धित है जो स्त्री पुरूष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है एवं स्त्री पुरूष के विशेषधिकारों से सम्बन्धित है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग सामान्यतः शक्ति सम्बन्धों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है।'' वास्तव में भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है।

गर्डालर्नर (1986) ने पितृसत्ता के अन्तर्गत पुरूष वर्चस्व को महत्व देते हुये पितृसत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पितृसत्ता परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से स्त्रियों पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय है कि पुरूषों का समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियन्त्रण रहता है और स्त्रियाँ ऐसी सत्ता तक पहुँच से वंचित रहती है।

सिल्विया बाल्बे के अनुसार– ''पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व रखता है, उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण एवं दमन भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है।'' वैदिक युग महिलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविकास

शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रायः पुरूषों के समान थीं। ऋग्वेद के अनुसार– **''पत्नी ही घर है इस धारणा को मान्यता दी जाती थी।''** परन्तु गौतमीय धर्मसूत्र के अन्तर्गत– उत्तर वैदिक काल में भी नारियों की दशा दयनीय थी। वह लिंग भेदभाव का शिकार थी, के सन्दर्भ में इस बात का उल्लेख मिलता है, कि रजोदर्शन से पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। बाल विवाह के प्रचलन के कारण नारी गृहस्वामिनी एवं पति की सखा होने की आशा नहीं करती थी। शिक्षा के अभाव में वेद पाठ भी नहीं कर सकती थी। धीरे–धीरे नारियों पर अनेक निषेध लगा दिये गये। इससे उनकी स्थिति काफी निम्न हो गई लड़की का जन्म परिवार में अभिशाप माना जाने लगा। इसके पश्चात मध्यकालीन युग में सती प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए इस युग में हिन्दुओं ने उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरूषों के अधीन कर दिया। समस्त अधिकारों एवं स्वतन्त्रता को छीन लिया गया। जिसका प्रभाव आधुनिक भारतीय समाज पर आज भी देखने को मिलता है। भारत में आज भी पुरूष प्रधानता एवं रूढ़िवादिता प्रचलित होने के कारण महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। परिवार में आज भी अध्ययन के क्षेत्र में, आर्थिक कार्यो के क्षेत्र आदि में उनका स्थान निम्न एवं दोयम दर्जे का है।

एस्टेव–वालर्ट (2004) ने अपने अध्ययन में बताया कि ''भारत में लिंग असमानता की उत्पत्ति एक सम्बन्ध में असमान शक्ति के सामाजिक निर्माण से उत्पन्न होती है, जो कार्यस्थल सहित पुरूष बर्चस्व का सम्मेलन और जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में महिला अधीनस्थता को पैदा करती है।

अरोरा (2012) ने पुरुष वर्चस्व के सन्दर्भ में व्याख्या की है कि 'सामाजिक रूप से निर्मित पुरूष वर्चस्व की विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि पुरूषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकायें, उनके मूल्यों और उसके द्वारा किये जााने वाले कार्य समाज के लिये अधिक उपयोगी होते हैं, वही दूसरी ओर समान रूप से महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं, उनके मूल्यों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। हाँलाकि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में आर्थिक प्रगति एवं मानव विकास में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। परन्तु

लैंगिक असमानता की समस्या के चलते आज भी अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं की दर्दनीय स्थिति का अवलोकन होता है।

आज भी महिलायें लिंग भेदभाव का शिकार है। जिसके कारण महिलाओं का सम्पूर्ण जीवन नरक के समान बन जाता है। वर्तमान नगरीय समाज में महिलायें शिक्षित होकर, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर आत्मनिर्भर बन रही है, भूमण्डलीकरण की बढ़ती व्यापकता के कारण महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती जा रही है, परन्तु फिर भी सामाजिक कुरीतियाँ आज भी उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। पुरूष वर्ग की हमेशा यही मांग होती है, कि स्त्री उन्हीं के हाथ का खिलौना बनी रहे। बड़ी ही चालाकी से नारी की रचनात्मक, सृजनात्मक एवं बौद्धिक क्रियाओं को पुरुष वर्ग द्वारा नकार दिया जाता है।

कपाड़िया के. एम. (1966). ने अपने 'आधिपत्य हस्तान्तरण' के सिद्धान्त में नारी की स्वतन्त्रता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है के सन्दर्भ में व्याख्या कि है, कि विवाह से पूर्व वह पिता के नियन्त्रण में, विवाह के उपरान्त अपने पति के नियन्त्रण में और वृद्धावस्था में या विधवा होने पर अपने पुत्रों के नियन्त्रण में रहती है। वहीं **वास्ट, विलियम. (2014).** ने पुरूषों द्वारा स्त्री को मनोरंजन माना जाता है, के सन्दर्भ में लिखा है, कि ''स्त्री सम्भोग भारत का एक राष्ट्रीय खेल है।''

वास्तव में लिंग असमानता महिलाओं के प्रति सामाजिक फन्दे का अत्याचार है। हम 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते है जो आज भी एक बेटा पैदा होने पर खुशी मनाते है और एक बेटी पैदा होने पर अफसोस जताते है। लड़के के लिए इतना प्यार और मोह कि लड़कों की चाहत में प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म या जन्म से पूर्व ही मारते आ रहे है। यदि सौभाग्य से लड़कियाँ बच जाती है तो हम जीवन भर उसके साथ असमानतापूर्ण व्यवहार करके उसके जीवन को नर्क के समान बना देते है। जिससे वह अपने जीवन की सारी खुशियों से वंचित रह जाती है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुछ राज्यों में

लिंगानुपात की स्थिति इस प्रकार है–

राज्यों के नाम	**लिंगानुपात**
केरल	1,084
पाण्डिचेरी	1,038
पंजाब	893
चण्डीगढ़	818
उत्तर प्रदेश	908
हरियाणा	877

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि केरल और पाण्डिचेरी राज्य में महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा है जबकि पंजाब, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है।

बुआ, दा सीमोन. (2008). ने पुरूषों द्वारा स्त्री की अवहेलना की जाती है, के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि औरत का संघर्ष सिर्फ एक संकेत मात्र आन्दोलन एवं उपद्रव बनकर ही रह गया। स्त्रियों को तो वही मिला जो पुरूषों ने इच्छा से उन्हें देने चाहा। ''**2011 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार**–लिंग असमानता सूचकांक में 146 राष्ट्रों में से भारत का स्थान 129 था। ब्रिक्स राष्ट्रों में से भारत ने ही लिंग आधारित विभेद सबसे ज्यादा है। वहीं **यू.एन.डी.पी.** के लिंग असमानता सूचकांक 2014 : में 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127 वे स्थान पर है।''

विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अन्तराल सूचकांक 2014 : में विश्व के 142 देशों की सूची में भारत 114 वें स्थान पर है। ये सूचकांक चार प्रमुख क्षेत्रों में लिंग अन्तर की जाँच करता हैः– आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियाँ, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, राजनीतिक सशक्तीकरण।

विभिन्न सूचकांकों के अन्दर भारत की स्थिति इस प्रकार है–

आर्थिक भागीदारी और अवसर	134
शैक्षिक उपलब्धियाँ	126
स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा	141
राजनीतिक सशक्तिकरण	15

नोट– लैंगिक असमानता भारत की विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिग को प्रदर्शित करती है।

लिंग असमानता का जन्म व्यक्ति के जन्म के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। परिवार में ही बालक को सर्वप्रथम अपने लिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। गर्भ परीक्षण के पश्चात्''बालिका शिशु'' की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु 'बालिका' है, तो माँ की भी उचित देखभाल नहीं की जाती है। लड़की पैदा होने पर माँ की परिवार में अवहेलना की जाती है। बालक के जन्म होने पर उत्सव मनायें जाते है, परन्तु पुत्री के जन्म पर किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाता है। खिलौनें, कपड़े एवं शिक्षा के अवसर भी उसके लिंग के अनुरूप ही प्रदान किये जाते है। एक अनुमान के अनुसार भारत में एक वर्ष में लगभग 6 लाख लड़कियों को गर्भ में ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। यूनिसेफ की रिर्पोट के अनुसार– "भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियाँ एवं महिलायें गायब हो रही है। भारत की जनसंख्या में प्रति 100 पुरूषों के पीछे 93 से कम स्त्रियाँ है जबकि विश्व के अधिकतम देशों में प्रति 100 पुरूषों के पीछे लगभग 105 स्त्रियों का जन्म होता है। अनुमानित तौर पर भारत में अवैध रूप से प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात किया जाता है।'' बालिकायें आज भी अपनी पसन्द की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरूषों की साक्षरता 82.14 प्रतिशत है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। ये अन्तराल असमानता को प्रदर्शित करता है। लड़कियों को अपनी पसन्द का जीवनसाथी चुनने की स्वतन्त्रता न होना, तथा सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी

कन्या से विवाह करने पर दहेज लिया जाना तथा दहेज ना मिलने पर बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दिये जाना बहुत ही कष्टदायी एवं उनके प्रति दयनीय व्यवहार है। जिसके कारण महिलाओं का जीवन दुखमयी बन जाता है। महिलाओं से हमेशा यह आशा कि जाती है कि वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय गृहकार्यो में व्यतीत करे। समाजीकरण के प्रारूप में महिलाओं को निम्न तथा पुरूषों को उच्च स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी की कहावत "Their is a woman behind every successful men" को सारा संसार मानता है फिर भी समाज में नारी को हमेशा शंका की नजर से देखा जाता है। इण्डियन पैनल कोड के अनुसार 2012 से 2014 तक दहेज के कारण होने वाली हत्याओं की संख्या 24,771 दर्ज की गयी है। लिंग असमानता के चलते समाज में लगातार महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनायें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो की नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के कुल 327394 मामले दर्ज किये गये। महिला के साथ होने वाली हिंसाओं के पीछे मुख्यतः उनके पति या रिश्तेदारों का हाथ ही होता है।

राजीव सचान के अनुसार–''निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं ने तमाम बाधाओं के बाद भी बुलंदियों को छुआ है, और घर के बाहर अपने आप को स्थापित किया है लेकिन फिर भी उनकी समस्यायें कम होने का नाम नहीं ले रही है, और उसकी प्रगति प्रश्नचिन्हों का शिकार हो रही है।'' एक वस्तु एक भोज्य पदार्थ, एक खिलौना समझकर महिलाओं की शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है।

लिंग असमानता से सम्बन्धित सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

विभिन्न राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक लेखों तथा विभिन्न लोकगीतों, कहावतों से पता चलता है सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्नीसवी सदी को स्त्रियों की सदी कहना बेहतर होगा क्योंकि इस सदी में सारी दुनिया में उसकी अच्छाई, बुराई, प्रकृति एवं क्षमतायें गर्मागर्म बहस का विषय थे। यूरोप में फ्रांसीसी क्रान्ति के दौरान और उसके बाद भी स्त्री जागरूकता का विस्तार होना शुरू हुआ। शताब्दी के अन्त

इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा जर्मनी के बुद्धिजीवियों ने नारीवादी विचारों की अभिव्यक्ति दी। भारत में भी खासतौर पर बंगाल और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों ने महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों पर आवाज उढ़ाई। जैसी–सती प्रथा के विरूद्ध अभियान चलाने वालो में राजा राममोहन राय प्रथम थे। ईश्वरचन्द्र विधासागर द्वारा विधवा पुर्नविवाह की समस्या की ओर ध्यान दिलाकर विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। गोविन्द रानाडे ने महिलाओं की शिक्षा के लिये भी महत्वपूर्ण कार्य किये। दयानन्द सरस्वती द्वारा स्त्री पुरूष की समानता को महत्व दिया गया। 1950 और 1960 के दशक में उदारवादी नारीवाद का जन्म हुआ। उदारवादी नारीवाद का मुख्य विचार यह है कि ईश्वर ने सभी का समान रूप से बनाया है और सभी के समान अधिकार है। उदारवादियों के अनुसार महिलाओं के अन्दर भी पुरूषों के समान मानसिक क्षमता विद्यमान होती इसीलिए महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में समान अवसर देने चाहिए। वही आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद ने उस पूरी विचारधारा एवं सामाजिक संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत किया जिसने महिलाओं को पुरूषों के अधीन बना दिया था। वह इस बात का समर्थन करते हैं कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये केवल समाज की संरचना में ही नहीं बल्कि पुरूषों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। रेडिकल नारीवादी विचारक उत्पीड़न के इस तन्त्र को जड़ से मिटाना चाहते हैं। मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि घरेलू श्रम का भी विनिमय मूल्य होता है क्योंकि परिवार के अन्दर एवं परिवार के बाहर भी इस कार्य के लिये राज्य अथवा अन्य एजेन्सी के द्वारा पारिश्रामिक दिया जाना चाहिए। उत्तर आधुनिकवादी ना केवल महिला तथा उसके दमन के मुद्दों को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय मानता है, बल्कि सार्वजनिक निजी अन्तर के दृष्टिकोण से राजनीति की प्रकृति को भी पुनः परिभाषित करता है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वास्तव में भारतीय समाज में लिंग असमानता की समस्या प्रमुख समस्या है। इस समस्या के चलते वर्तमान भारतीय समाज में महिलायें आज भी आज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को स्वयं इस समस्या के समाधान के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। महिलाओं को उन अन्याय को एवं असमान रूढ़िवादी प्रथाओं,

परम्पराओं, विश्वासों और मान्यताओं को चुनौती देनी होगी तथा अपने प्रति अबला होने की धारणा को बदलना होगा। उन नवीन भूमिकाओं की ओर आगे बढ़ना होगा जो अब तक केवल पुरूषों के अधिकार क्षेत्र माने जाते रहे। स्त्रियों को अपनी स्वप्रतिष्ठा बढ़ानी होगी।

समस्या कथनः–

वर्तमान भारतीय समाज में लिंग असमानता की समस्या प्रमुख सामाजिक समस्या है। वैश्वीकरण के इस दौर में भी समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। लिंग असमानता की कहानी स्वयं मानव की देन है। भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या कम है। बालिका के जन्म पर आज भी उतनी खुशी एवं उत्सव नहीं मनायें जाते है, जितना कि बालक के जन्म पर। आज भी बालिकाओं को कमजोर, बोझ, अभिशाप समझा जाता है भेदभाव की यह प्रक्रिया शिशु के जन्म के पश्चात से ही प्रारम्भ हो जाती है, कि जन्म लेने वाला शिशु ''बालक है या बालिका''। माता–पिता द्वारा भी शिशु का पालन पोषण भी उसके लिंग के अनुरूप ही किया जाता है। अतः लिंग सामाजीकरण के प्रारूप में महिलाओं को निम्न तथा पुरूषों को उच्च स्थान प्राप्त है। परिवार, समाज, जाति और व्यवसाय के आधार पर उनके प्रारूप को निर्धारित किया गया है। उनकी इस रचना को वो भी अपनी किस्मत मान लेती है। भारत में पितृसत्तात्मकता के कारण मुख्यतः ग्रामीण समाज में आज भी लोगों की सोच महिलाओं के लिए रूढ़िवादी और परम्परावादी है, जिसकी वजह से वह अपनी बहू, बेटियों, पत्नियों को घर की चारदीवारी में बन्द करके रखना चाहते है। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना उचित नहीं समझते है। इनका समाजीकरण घर गृहस्थी के कार्यो तक ही सीमित रखा जाता है। सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा आदि कोर्सो तक ही इनकी शिक्षा को सीमित कर दिया जाता है। परिवार एवं समाज के लोग यह मानते है कि जोखिम वहन करना, संकट का सामना करना, अत्याचार का विरोध करना महिलाओं के वश का नहीं है। सहनशीलता, परोपकारिता, समर्पण जैसे गुण ही सिर्फ उनका गहना है इस प्रकार बड़ी ही चालाकी से समाज में महिलाओं की सृजनात्मक, रचनात्मक एवं बौद्धिक क्रियाओं को नकार दिया जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक जगत में उनका शोषण लगातार किया

जा रहा है। इस प्रकार लिंग असमानता से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों एवं तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिये इस समस्या का चयन किया गया है।

अध्ययन का महत्वः–

प्रस्तुत शोध कार्य का सामाजिक महत्व इस प्रकार है, कि नारी समाज का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है स्त्री की समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि स्त्री और पुरूष मिलकर परिवार का निर्माण करते है। संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम स्त्री को ही दिया जाता है। पुरूष स्त्री के बिना अधूरा है इसलिए नारी समाज में सम्मान का सूचक है। आज वह अपनी प्रतिभाओं से सम्पन्न है। अपनी रचनात्मक, सृजनात्मक एवं बौद्विक क्रियाओं के माध्यम से वह परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पूरी भागीदारी निभा रही है। अब नारी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूष के समकक्ष है। आज उन्हें सभी सेवाओं में जिम्मेदारी के पदों पर कार्य करते हुये देखा जा सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका, वकील, लिपिका, अफसर आदि। युवक समारोह, खेल समारोह और राष्ट्रीय खेलों में उनका सहभाग बढ़ा है। वे पढ़ने, नौकरी करनेऔर टीमों के रूप में विदेश भी जाने लगी है। व्यवसाय और उद्योग को नारी की सूझबूझ और कौशल ने नई दिशायें प्रदान की है। आज भारत में विभिन्न मुख्य कामों में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। नारी जनसंख्या का 90% से भी ज्यादा का भाग समाज के लिये इतना महत्वपूर्ण होते हुये भी एक माँ, एक पत्नी, एक बहिन तथा एक बेटी के रूप में अपने परम्परागत उत्तरदायित्वों को पूरा कर रही है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन के माध्यम से लिंग असमानता से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों एवं तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी। प्राचीन तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं नवीन तथ्यों की प्राप्ति होगी। इससे समाजशास्त्रीय ज्ञान के भण्डार में वृद्धि के साथ–साथ नारी के महत्वता से जुड़े एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो की की जानकारी प्राप्त होगी।

सम्बन्धित साहित्य का पुर्नरावलोकन

- **कपाड़िया. के.एम. (1966).** ने अपने 'आधिपत्य हस्तान्तरण' के सिद्धान्त में नारी की स्वतन्त्रता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है के सन्दर्भ में व्याख्या कि है, कि विवाह से पूर्व वह पिता के नियन्त्रण में, विवाह के उपरान्त अपने पति के नियन्त्रण में और वृद्धावस्था में या विधवा होने पर अपने पुत्रों के नियन्त्रण में रहती है।
- **मोहन (1973).** ने अपने अध्ययन में बताया है कि, भारतीय ऐतिहासिक पितृसन्तात्मक मूल्य समाज में महिलाओं की उस वर्तमान स्थिति का समर्थन करते हैं, जहाँ महिलाओं की समानता को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
- **गर्डालर्नर (1986).** ने पितृसत्ता के अन्तर्गत पुरूष वर्चस्व को महत्व देते हुये पितृसत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है, कि पितृसत्ता परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से स्त्रियों पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय है कि पुरूषों का समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियन्त्रण रहता है और स्त्रियाँ ऐसी सत्ता तक पहुँच से वंचित रहती है।
- **फ्रेसर तथा सहयोगी, (1986).** ने लड़की के प्रति माता–पिता की रूढ़िवादी सोच के संदर्भ में व्याख्या की है, कि माता–पिता लड़की के विवाह को एक जिम्मेदारी मानते है। इन्हें इस बात का ख्याल तक भी नहीं आता है कि लड़की के प्रति विवाह के अलावा भी एक उत्तरदायित्व उनका यह भी है कि उन्हें शिक्षित कर दिया जाये। अभी तक वही पुरानी सोच रखते है कि लड़की को सिर्फ घर के काम सिखाने चाहिए। उनकी पढाई पर खर्चा फिजूलखर्च है।
- **दूरदर्शन प्रसारण (1988).** की एक रिर्पोट के अनुसार देश में लड़कों की तुलना में 40 लाख से अधिक लड़कियाँ स्कूली शिक्षा से वंचित है। ये लड़कियाँ पढ़ने–लिखने की बजाय घर के काम–काज या खेतों, कारखानों में मजदूरी करने पर मजबूर है।

- **यादव एवं मालवीय, (1990).** ने अपने महिला शिक्षा से सम्बन्धित एक सर्वेक्षण में पाया कि 46.05% महिलाओं को शिक्षा के सम्बन्ध में घर के सदस्यों का योगदान प्राप्त होता है। तथा 53.09% महिलाओं को घर के सदस्यों का योगदान नहीं प्राप्त होता है।
- **राय, जे.के. (1995).** ने सामाजिक रीति–रिवाज स्त्री शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते है, के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि जाति, धर्म, सामाजिक रीति–रिवाज के कारण महिलाऐं शिक्षा एवं पुर्नविवाह से वंचित की गयी है।
- **एस्टेव–वालर्ट (2004)** ने अपने अध्ययन में बताया है, कि भारत में लिंग असमानता की उत्पत्ति एक सम्बन्ध में असमान शक्ति के सामाजिक निर्माण से उत्पन्न होती है, जो कार्यस्थल सहित पुरूष बर्चस्व का सम्मेलन और जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में महिला अधीनस्थता को पैदा करती है।
- **सी.ई.आर.टी. की रिर्पोट (2005–06).** के अनुसार– गाँव में 45%महिलायें खेती का कार्य करती है। उनके बच्चों को देखना और काम का बोझ भोली लड़कियों को ढोना पड़ता है।
- **बूटा, अरूणा (2008).** ने पुरुष स्त्री को हमेशा अपने से कम आंकता है, के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि पुरूष सफल औरतों को शंका की नजर से देखते है, वे सांस्कृतिक संकट के शिकार है। पुरूष एक खूबसूरत गुड़िया चाहता है, जो हर निर्णय में उस पर निर्भर करे। वह दिखाना चाहता है, कि महिला की बागडोर उसी के हाथ में है।
- **बुआ, दा सीमोन. (2008).** ने पुरूषों द्वारा स्त्री की अवहेलना की जाती है, के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि औरत का संघर्ष सिर्फ एक संकेत मात्र आन्दोलन एवं उपद्रव बनकर ही रह गया। स्त्रियों को तो वही मिला जो पुरूषों ने इच्छा से उन्हें देने चाहा, इस स्थिति में भी पुरूष दाता के रूप में और औरत ग्रहकार्य करने वाली के रूप में हमारे सामने आयी। इसका प्रमुख कारण है, कि औरतों ने अपने आप को एक इकाई के रूप में संगठित कर रखा है। जिनके पास ठोस साधनों का अभाव भी है जिनका अपना ना तो अतीत है और ना ही इतिहास। ना ही सर्वहारा की तरह ठोस क्रिया कलापों का एक संगठित जगत। समूह के

बदले औरत अकेली और पुरूषों के बीच बिखरी हुई है। पुरूष उसके आसपास कभी पिता, कभी भाई तो कभी पति या पुत्र के रूप में रहता है।

- **कुमार, शिव (2008).** ने लिंग असमानता को बढ़ावा देने में रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं का अधिक महत्व होता है के सन्दर्भ में बताया है कि विविधतापूर्ण सामाजिक प्रथाओं से उत्पन्न लिंग असमानता के कई स्वरूप भारतीय समाज में व्याप्त हैं। लिंग असमानता से सम्बन्धित रूढ़िवादी धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की जड़े ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक मजबूत हैं। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को आर्थिक मुख्यधारा के अन्तर्गत असमानता का सामना करना पड़ता है। लिंग असमानता के गम्भीर आर्थिक परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि वे समाज को महिलाओं में निहित प्रतिभा का लाभ लेने की अनुमति नहीं देते हैं।
- **अरोरा (2012)** ने पुरूष वर्चस्व के सन्दर्भ में व्याख्या की है कि 'सामाजिक रूप से निर्मित पुरूष वर्चस्व की विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि पुरूषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकायें, उनके मूल्यों और उसके द्वारा किये जााने वाले कार्य समाज के लिये अधिक उपयोगी होते हैं, वही दूसरी ओर समान रूप से महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं, उनके मूल्यों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। हाँलाकि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में आर्थिक प्रगति एवं मानव विकास में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। परन्तु लैंगिक असमानता की समस्या के चलते आज भी अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं की दर्दनीय स्थिति का अवलोकन होता है।
- **मिर्डल तथा क्लयान, (2013).** ने अपने अध्ययन Women to roles में व्याख्या की है, कि प्रशिक्षण प्राप्त तथा व्यावसायिक ऐसे सब धन्धों की परिधि में कार्य का विवरण लैगिंग आधार पर हुआ हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार लिंग आधारित समाजीकरण के प्रारूप में महिलाओं को पुरूषों से निम्न स्थान प्राप्त है। परिवार समाज, जाति और व्यवसाय के आधार पर उनके प्रारूप को निर्धारित किया गया है।
- **पेपनेक, (2013).** ने लिंग असमानता के सन्दर्भ में व्याख्या की है कि लिंग (सामाजिक) स्त्री और पुरूष से सम्बन्धित है जो स्त्री पुरूष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित

करने का प्रयास करता है। एवं स्त्री पुरूष के विशेषधिकारों से सम्बन्धित है, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग सामान्यतः शक्ति सम्बन्धों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है।

- **गिडेन्स, एन्थनी. (2013).** ने व्याख्या की है, कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने साहचर्यो के बीच पुरूषों का जो पहले से प्रभुत्व होता है, वह उन्हें रिश्तेदारी एवं मनोभावों की बातचीत से दूर रखता है। पुरूषों को माता–पिता के द्वारा बाहर का काम देखने एवं आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित किया जाता है। पुरूषों से अपने मनोभवों को दबाने एवं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करने की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि यह महिलाओं का कार्य माना जाता है।
- **सचान, राजीव. (2013).** ने नारी की प्रगति प्रश्नचिन्हों का शिकार हो रही है, के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं ने तमाम बाधाओं के बावजूद नई बुलन्दियों को छुआ है। घर के बाहर अपने आप को स्थापित किया है, परन्तु फिर भी सामाजिक कुरीतियों के कारण उनकी समस्यायें कम होने का नाम नहीं ले रही है और उनकी प्रगति प्रश्नचिन्हों का शिकार हो रही है।
- **राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो सर्वेक्षण (2013).** के एक सर्वेक्षण में लड़के और लड़कियों को दिये जाने वाले पौष्टिक भोजन में भी अन्तर पाया जाता है, के सन्दर्भ में पाया गया कि 10–15 वर्ष के लड़कों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जबकि इसी आयु की लड़की को 25 ग्राम पौष्टिक भोजन एक दिन में दिया जाता है। वही घरेलू कार्य करने वाले पुरूष को 475 ग्राम खाना मिलता है जबकि महिला को 403 ग्राम अनाज खाने को मिलता है।
- **चंड और सिन्हा (2013).** ने पितृसत्ता के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि भारत में पितृसत्ता एक ऐसा आदर्श है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिये यह लागू करता है, कि महिलाओं का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरूष सदस्यों द्वारा निर्धारित एवं नियन्त्रित किया जाता है।

- **भट्टाचार्य (2013).** ने लिंग असमानता की समस्या की शुरूआत परिवार से होती है के सन्दर्भ में व्याख्या कि है, कि भारत में लिंग असमानता की शुरूआत भारतीय परिवारों से होती है। आज भी पक्षपात की भावना से निहित लिंग असमानता की अवधारणा दृढ़तापूर्वक भारतीय लोगों की मानसिकता में निहित है। महिलाओं के कार्य परिवार के सदस्यों की देखभाल एवं घरेलू कामकाजों तक ही सीमित है। जिसके कारण महिलाऐं परिवार एवं राष्ट्र दोनों में अपनी अनुकूल पहचान प्राप्त करने में विफल रहती है।
- **वास्ट, विलियम. (2014).** ने पुरूषों द्वारा स्त्री को मनोरंजन माना जाता है, के सन्दर्भ में लिखा है, कि ''स्त्री सम्भोग भारत का एक राष्ट्रीय खेल है।''
- **पाणिक्कर, के.एम. (2014).** ने हिन्दू संयुक्त परिवारों में स्त्री को प्रदान की जाने वाली प्रस्थिति के सन्दर्भ में व्याख्या की है, कि आधारभूत रूप से हिन्दू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है, कि पुत्री परिवार का भाग नहीं होती है। वह तो केवल एक ऐसा आभूषण है, जो उनके पास गिरवी रखा होता है। और जब उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी मांग करेगा तो उसे दे दिया जायेगा।
- **नोड्रडींग्स, नेड. (2014).** ने सांस्कृतिक प्रतीकवाद एवं सामान्य भूमिका के सन्दर्भ में व्याख्या कि है, कि हम समुदाय के अन्दर रहते है विभिन्न सम्बन्धनात्मक इकाइयों में पलते है। जिन्दगी का मतलब नियम एवं सिद्धान्त ही नहीं बल्कि व्यक्तियों एवं उत्तरदायित्वों से भी है। और इसीलिये पुरूषों एवं महिलाओं के बीच भिन्नता दिखायी देती है। स्त्रीयोचित गुण जिसका सम्बन्ध महिलाओं से होता है, की पहचान निष्क्रिय होती है। नरमी, लिहाज एवं शारीरिक कमजोरी को स्त्रीत्व शैली का पर्याय माना जाता है। जबकि पुरूषत्व को दबंगपन के अर्थ में परिभाषित किया जाता है। जहाँ पुरूष अधिकार की भाषा बोलते है, वही महिलाऐं उत्तरदायित्व की भाषा तक ही सिमटी रहती है।
- **मिलर, डी. बारबारा. (2015).** ने स्त्री शिशु हत्या के दो रूपों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में व्याख्या की है, कि प्रत्यक्ष रूप में स्त्री को मारने पीटने से जहर देकर या गला घोटने से

हत्या कर दी जाती है। अप्रत्यक्ष रूप में उनके पालन पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके मारने का प्रयास किया जाता है।

उद्देश्यः–

- अभिभावकों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
- लिंग असमानता में समाजीकरण की भूमिका का अध्ययन।
- लिंग असमानता के स्वरूपों का अध्ययन।
- लिंग असमानता के कारणों का अध्ययन।
- लिंग असमानता के कारण आने वाली चुनौतियों का अध्ययन।

परिकल्पनाः–

- अभिभावकों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में विभिन्नता पाई जाती है।
- लिंग असमानता में समाजीकरण की भूमिका में रूढ़िवादिता एवं पक्षपात की भावना निहित होती है।
- लिंग असमानता के स्वरूपों में विभिन्नता दृष्टिगत होती है।
- लिंग असमानता में पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- लिंग असमानता के कारण एक विशेष वर्ग को सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

➢ **अध्ययन की शोध विधिः–** प्रस्तुत अध्ययन को पूरा करने के लिये विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोधविधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें लिंग असमानता में समाजीकरण की भूमिका के साथ–साथ लिंग असमानता से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच कार्यकारण सम्बन्धों की व्याख्या की जायेगी।

➢ **<u>अध्ययन का क्षेत्रः—</u>**प्रस्तुत अध्ययन में आगरा जिला के खण्ड एत्मादपुर के 'चमरौला, जमनीपुर, नगला गोल, सराय जयराम गाँव' अध्ययन के क्षेत्र होगें।

क्र0सं0	**गाँव के नाम**	**कुल जनसंख्या**	**कुल परिवार**
1.	चमरौला	568	92
2.	जमनीपुर	394	65
3.	नगला गोल	1,271	193
4.	सराय जयराम	2,008	332
कुल योग		**4,241**	**682**

श्रोत— 2011 की जनगणना के अनुसार।

- **अध्ययन का समग्रः—**प्रस्तुत अध्ययन में आगरा जिला के खण्ड एत्मादपुर के चमरौला, जमनीपुर, नगला गोल, सराय जयराम गाँव के कुल परिवारों में निवास करने वाले अभिभावक (माता—पिता) अध्ययन का समग्र होंगे।

- **निदर्शनः—** प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये निदर्शन के रूप में अभिभावक (माता—पिता) की कुल 380 इकाईयों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के माध्यम से किया जायेगा जो कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुल परिवारों में से 190 परिवारों में निवास करने वाले अभिभावक (माता—पिता) की संख्या होगी।

- **<u>शोध प्रवधिः—</u>**प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये असहभागी अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची और साक्षात्कार शोध प्रवधि का प्रयोग किया जायेगा। तथा साक्षात्कार अनुसूची के अन्तर्गत खुले एवं बन्द दोनों प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जायेगा।

- **<u>अध्ययन की सैद्धान्तिक रूपरेखाः—</u>**प्रस्तुत अध्ययन अनुभव सिद्ध अध्ययन होगा, जिसमें निदर्शन के आधार पर चयनित उत्तरदाताओं के अभिमतों के आधार पर प्राप्त जानकारी के अलावा अध्ययनकर्त्ता के क्षेत्रीय अनुभवों को भी सम्मिलित किया जायेगा तथा विषय से सम्बन्धित सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यों की भी व्याख्या की जायेगी।

- **<u>तथ्यों का संकलनः—</u>**प्रस्तुत अध्ययन को गहन एवं वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से अभिभावकों से वृहद् स्तर पर तथ्यों को संकलित किया जायेगा। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत असहभागी अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया जायेगा तथा द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत पुस्तकों, मैगजीनों, इण्टरनेट सामग्री, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलित किया जायेगा।

- **<u>तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषणः—</u>** तथ्यों के संकलन के पश्चात् तथ्यों की जाँच की जायेगी। जिसमें से महत्वपूर्ण पक्षों एवं तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित कर सारणीयों में प्रदर्शित कर उनका विश्लेषण किया जायेगा। तथ्यों के विश्लेषण में मूल्यांकन परीक्षण, सहसम्बन्ध एवं प्रतिशत आदि सांख्यिकी विधि का प्रयोग सुविधानुसार किया जा सकने की सम्भावना होगी।

- **<u>तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शनः</u>**— तथ्यों को आवश्यकतानुसार प्रभावी एवं आकर्षक तरीकों से प्रस्तुत करने के लिये उनको बार डायग्राम, पाईचार्ट आदि में भी दर्शाया जायेगा। इससे तथ्यों को आसानी से समझने एवं दो या दो से अधिक तथ्यों के बीच तुलना करने में आसानी होगी।

- **<u>निष्कर्ष एवं सारांशः—</u>**प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्ष एवं सारांश को भी लिखा जायेगा।

प्रस्तावित अध्याय

अध्याय–1 प्रस्तावना

- समस्या कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुर्नावलोकन
- अध्याय के उद्देश्य

अध्याय–2 शोध पद्धति

- अध्ययन से सम्बन्धित परिकल्पना
- अध्ययन की शोध विधि
- अध्ययन का क्षेत्र
- अध्ययन का समग्र
- निदर्शन
- शोध प्रविधि
- अध्ययन की सैद्धान्तिक रूपरेखा
- तथ्यों का संकलन
- तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण
- तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन

अध्याय–3 अभिभावकों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

अध्याय–4 लिंग असमानता में समाजीकरण की भूमिका का अध्ययन

अध्याय–5 लिंग असमानता के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन

अध्याय–6 लिंग असमानता के कारणों का अध्ययन

अध्याय–7 लिंग असमानता के कारण आने वाली चुनौतियों का अध्ययन

<u>अध्याय–8</u> निष्कर्ष एवं सारांश

- निष्कर्ष
- सारांश
- सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- क्षेत्रीय अनुभव
- साक्षात्कार अनुसूची

REFERENCES

- Ahuja, Ram. (1992). Rights of Women : A Feminist perspective. Rawat Publication, Jaipur.
- Ahuja, Ram. (1993). Indian Social System. Rawat Publication, Jaipur.
- Agrawal, Dr. Shashi Rani (2005-06). Estree Vartman Sandarbh Mein. Vijay Publication, Jaipur.
- Altekar, A.S. (1962). The Position of Women in the Hindu Civilization: From Pre-history to the Present Day. Motial Banarsidas Publication, New Delhi.
- Andal, N. (2002). Woman and Indian Society. Rawat Publication, Jaipur.
- Arber, Sara and Ginn, Jay. (1999). Gender and Later Life. Sage Publication.
- Barbara, John Archer (2002). Sex and Gender – Edition 2nd, Publisher: Cambride Univerity.
- Batra, Renu, Reiojr, Thomas G. (2016). Gender Inequality Issues in India. Sage Publication.
- Bhattacharya, P. (2013). The Price India Pays for Gender Inequality. Sage Publication.
- Chanana, Karuna., Krishnaraj, Maithreyi. (1989). Gender and the Household Domain Social and Cultural Dimensions. Sage Publication.
- Gertler and Alderman (1989). Family Resources and Gender Differences. Sage Publication.
- Jha, Priti, Nagar, Niti (2015). A Study of Gender Inequality in India. The International Journal of Indian Psychology, Redshine Publication, Gujrat.
- Kanchan, M. (2008). Gender Hierachies and Inequalities: Taking Stock of Women's Sexual and Reproductive Health. Economic and Political Weekly.

- Kapadia, K.M. (1958). Marriage and Family in India. Publication Oxford U.P.
- Kapur, Pramila. (1972). Marriage and the Working Women in India. Vikas Publication, New Delhi.
- Kumar, Raj. (2000). Women and the Society. Anmol Publication, New Delhi.
- Lal, Dr. Suder. (2005). Social Status of Women. ABD, Publication, Jaipur.
- Lawaniya, Dr. M.M. (2008). Bhartiya Mahilao ka Samajshastra. Jaipur and New Delhi : Research Publication.
- Lindsey, L.L. (1995). Gender Roles: A Sociological Perspective. Brintice Hall, Englewood Chitts, New York.
- Maheshwari, Sarla. (2008). Nari Prasna. Rajkamal Prakashan.
- Menon, L. (1997). Gender Issues and Social Dynamics. Kanishka Publishers and Distributors, Delhi.
- Mohanty, R.P., Biswal, D.N. (2007). Culture, Gender and Gender Discrimination Caste Hindu and Tribal. Mittal publication, New Delhi.
- NIPCCD (2008). A Socio-Cultural Study of the Deeling Sex Ratio in Delhi and Haryana, National Institute of Public Cooperation and Child Development New Delhi.
- Rawat, Gynaendra. (2006). Aurat Ek Samajshastriya Adhayan. Visva Bharti Publication.
- Ridgeway, Cecilial (2011). Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World, Oxford University Press Publication, New York.
- Ruth, Sheila (1990). Issues in Feminism. Mayfield Publishing Company.
- Sen, Amartya. (2001) Sen's Inequalities. Oxford Publishing Company.
- Sen, Amartya. (2001). Many Faces of Gender Inequality. Vol. 18.

- Shastri, Andrey (Nov. 2014). Gender Inequality and Women Discrimination : IOSR-JHSS. www.iosrjournals.org.
- Singh, Meenakshi Nishant. (2008). Adhunikta aur Mahila Utpidan. Sanjay Publication, New Delhi.
- Siva Kumar, M. (2008). Gender Discrimation and Women's Development in India. Chugh Publication, Allahabad U.P.
- Thomas, Reshma Elizabeth (Aug 2013). Gender Inequality in Modern India : Scenario and Solution (IOSA-JHSS) www.Iosrjournals.org.
- Tripathi, R.S., Tiwari, R.P., (1999). Perspectives on Indian Women. APH Publishing Corporation.
- United Nations Development Program's Human Development Report 2013.
- Village and Towns in Etmadpur Tehsil of Agra, Uttar Pradesh – Census 2011. www.census2011.co.in